फाईनल डिकी मुकदमा इब्तदाई
(ओ 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम

पीठासीन अधिकारी:– अमन चौधरी आर.ए.एस

उनवान

राजेन्द्र कुमार पुत्र रामभरोसी आयु 41 साल जाति ब्राहमण निवासी विनायक स्कूल के पास, पुरानी अनाज मण्डी के पीछे टोडाभीम, तहसील टोडाभीम, जिला करौली (राज0)

वादी

बनाम

1. अरविन्द कुमार पुत्र रामभरोसी जाति ब्राहमण निवासी विनायक स्कूल के पास, पुरानी अनाज मण्डी के पीछे टोडाभीम, तहसील टोडाभीम, जिला करौली (राज0)
2. अनीता पुत्र रामभरोसी पत्नि सूर्यप्रकाश जाति ब्राहमण निवासी टोडाभीम हालवासी म0नं0 125, नवीन सी0सै0 स्कूल के पास वार्ड नं0 22 नसियां कोलोनी, गंगापुर सिटी, जिला सवाई माधोपुर राज0
3. सुनीता पुत्री रामभरोसी पत्नि सुनील कुमार जाति ब्राहमण निवासी टोडाभीम हालवासी ढोलीखार रोड तांबे की टोरी, जिला करौली राज0

4. जयहिन्द 5. पवन 6. विनोद	पिसरान जगदीश प्रसाद	समस्त जाति महाजन, निवासी नं0 2 स्कूल के पास, टोडाभीम जिला करौली राज0
7. ऊषा 8. प्रियंका 9. मनीषा	पुत्रियां जगदीश प्रसाद	

10. अदील अहमद पुत्र सिराजुद्दीन जाति मुसलमान निवासी काजीपाडा टोडाभीम, जिला करौली राज0
11. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार तहसील टोडाभीम जिला करौली राज0

प्रतिवादीगण

दावा बावत तकास्मा एवं स्थाई निषेधज्ञा

मु0न0:– 139/2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबई श्री मनोज कुमार शर्मा एडवोकेट, श्री सुरेश चन्द शर्मा, श्री देवेन्द्र कुमार शर्मा, श्री विष्णु कुमार कंटक एडवोकेट

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

एवं हमारे मिनजानिब .... मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है, व ग्राम मकबरा व असरो की डिक्री दी जाती है कि

ग्राम मकबरा

क0स0	नाम खातेदार काश्तकार	ख0न0	रकवा
1.	अरविन्द कुमार पुत्र रामभरोसी जाति ब्राहमण सा0 टोडाभीम खातेदार राहिन पीएनबी शाखा टोडाभीम	111/1	0.24
		118/1	0.31
		119/1	0.34
		कुल किता 3	कुल रकवा 0.89 है0
2.	अनीता पुत्री रामभरोसी जाति ब्राहमण सा0 देह खातेदार	111/2	0.35
		118/2	0.21
		119/2	0.29
		116/1	0.04
		कुल किता 4	कुल रकवा 0.89 है0
3.	राजेन्द्र कुमार पुत्र रामभरोसी जाति ब्राहमण सा0 टोडाभीम खातेदार	112/1	0.26
		113/1	0.10
		114/1	0.34
		116/1	0.19
		कुल किता 4	कुल रकवा 0.89 है0
4.	सुनीता पुत्री रामभरोसी जाति ब्राहमण सा0 टोडाभीम खातेदार	112/2	0.08
		113/2	0.26
		114/2	0.12
		116/2	0.13
		कुल किता 4	कुल रकवा 0.59 है0
5.	अरविन्द कुमार पुत्र रामभरोसी हि0 1/4 राहिन पीएनबी शाखा टोडाभीम, राजेन्द्र कुमार पुत्र रामभरोसी हि0 1/4 अनीता पुत्री रामभरोसी हि0 1/4 सुनीता पुत्री रामभरोसी हि0 1/4 जाति ब्राहमण सा0 टोडाभीम खातेदार	111/3	0.05
		112/3	0.02
		115	0.01
		117	0.05
		कुल किता 4	कुल रकवा 0.13 है0

ग्राम असरो

क0स0	नाम खातेदार काश्तकार	ख0न0	रकवा
1.	नाबा. अदील अीमद पुत्र सिराजुद्दीन जाति मुसलमान सा0 मकबरा खातेदार	825	0.01
		826	0.27
		824/2	0.02
		कुल किता 3	कुल रकवा 0.30 है0
2.	जयहिन्द पुत्र जगदीश प्रसाद हि0 1/6, पवन पुत्र जगदीश प्रसाद हि0 1/6, विनोद पुत्र जगदीश प्रसाद हि0 1/6, ऊषा पुत्री जगदीश प्रसाद हि0 1/6, प्रियंका पुत्री जगदीश प्रसाद हि0 1/6, मनीषा पुत्री जगदीश प्रसाद हि0 1/6 जाति महजन सा0 टोडाभीम खातेदार	823	0.01
		824/1	0.29
		कुल किता 2	कुल रकवा 0.30 है0
3	सुनीता पुत्री रामभरोसी जाति ब्राहमण सा0 टोडाभीम खातेदार	821	0.19
		822	0.07
		824/3	0.04
		कुल किता 3	कुल रकवा 0.30 है0

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

4.	अरविन्द कुमार पुत्र रामभरोसी हि0 1/4, राजेन्द्र कुमार पुत्र रामभरोसी हि0 1/4, अनीता पुत्री रामभरोसी हि0 1/4, सुनीता पुत्री रामभरोसी हि0 1/4 जाति ब्राहमण सा0 टोडाभीम खातेदार	820	0.01 है0

उक्त सूची अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। नक्शा ट्रेस की प्रति निर्णय के साथ सलग्न रहेगी। उभयपक्ष को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि एक–दूसरे के कब्जे काश्त मे मजाहमत मदाखलत नही करे।

निज.....................मुबलिंग............................बाबत.........................खर्चा इस मुकदमे के मय शूद बशरह.....................फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक......... ......अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 30/04/2026..... को जारी की गई

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकाल नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			म्हनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			वावत इजराय हुक्मनामा		
ववत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

मु0न0:— 139/2022 रजू दिनांकः— 26.07.2022

पीठासीन अधिकारीः— अमन चौधरी (आर.ए.एस)

उनवान

राजेन्द्र कुमार पुत्र रामभरोसी आयु 41 साल जाति ब्राहमण निवासी विनायक स्कूल के पास, पुरानी अनाज मण्डी के पीछे टोडाभीम, तहसील टोडाभीम, जिला करौली (राज0)

वादी

बनाम

1. अरविन्द कुमार पुत्र रामभरोसी जाति ब्राहमण निवासी विनायक स्कूल के पास, पुरानी अनाज मण्डी के पीछे टोडाभीम, तहसील टोडाभीम, जिला करौली (राज0)
2. अनीता पुत्र रामभरोसी पत्नि सूर्यप्रकाश जाति ब्राहमण निवासी टोडाभीम हालवासी म0नं0 125, नवीन सी0सै0 स्कूल के पास वार्ड नं0 22 नसियां कोलोनी, गंगापुर सिटी, जिला सवाई माधोपुर राज0
3. सुनीता पुत्री रामभरोसी पत्नि सुनील कुमार जाति ब्राहमण निवासी टोडाभीम हालवासी ढोलीखार रोड तांबे की टोरी, जिला करौली राज0

4. जयहिन्द 5. पवन 6. विनोद	पिसरान जगदीश प्रसाद	समस्त जाति महाजन, निवासी नं0 2 स्कूल के पास, टोडाभीम जिला करौली राज0
7. ऊषा 8. प्रियंका 9. मनीषा	पुत्रियां जगदीश प्रसाद	

10. अदील अहमद पुत्र सिराजुद्दीन जाति मुसलमान निवासी काजीपाडा टोडाभीम, जिला करौली राज0
11. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार तहसील टोडाभीम जिला करौली राज0

प्रतिवादीगण

दावा बावत तकास्मा एवं स्थाई निषेधज्ञा

उपस्थितिः— 1. श्री मनोज कुमार शर्मा एडवोकेट वादी
2. श्री सुरेश चन्द शर्मा एडवोकेट प्रतिवादी नं0 1
3. श्री देवेन्द्र कुमार शर्मा एडवोकेट प्रतिवादी नं0 2 व 3
4. श्री बिष्णु कुमार कंटक एडवोकेट प्रतिवादी नं0 4, 5, 9
5. प्रतिवादी नं0 6, 7, 8, 10 अनुपस्थित

निर्णय दिनांकः— 30/04/2026

वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि आराजी हाल खसरा नम्बर 111/0.64, 112/0.36, 113/0.36, 114/0.46, 115/0.01, 116/0.36, 117/0.05, 118/0.52, 119/0.63 कुल किता 9 कुल रकवा 3.39 है0 बांके ग्राम मकबरा तहसील टोडाभीम में

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

स्थित है। जिसमें वादी वहिस्सा 1/4 प्रतिवादी नं0 1 वहिस्सा 1/4, प्रतिवादी नं0 2 वहिस्सा 1/4, प्रतिवादी नं0 3 वहिस्सा 1/4 के खातेदार काश्तकार दर्ज हाल राजस्व रिकार्ड है।

आराजी हाल खसरा नम्बर 820/0.01, 821/0.19, 822/0.07, 823/0.01, 824/0.35, 825/0.01, 826/0.27 कुल किता 7 कुल रकवा 0.91 है0 बांके ग्राम असरो तहसील टोडाभीम में स्थित है जिसमें वादी वहिस्सा 1/12, प्रतिवादी सं0 1 वहिस्सा 1/12, प्रतिवादी सं0 2 वहिस्सा 1/12, प्रतिवादी सं0 3 वहिस्सा 1/12, माता प्रतिवादी सं0 4 ता 9 सत्यवती वहिस्सा 1/3, प्रतिवादी सं0 10 वहिस्सा 1/3 के खातेदार काश्तकार दर्ज हाल राजस्व रिकार्ड है।

वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य मौके पर बाहमी बंटवारा कर रखा है, लेकिन विधिवत बंटवारा अभी तक नहीं हुआ है, भूमि मुतनाजा के प्रत्येक इंच भू–भाग पर वादी एवं प्रतिवादीगण का संयुक्त कब्जाकाश्त है, लेकिन आये दिन वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य विधिवत बंटवारा नहीं होने से आरजीयात की डोल–मेढ को लेकर एवं कम अधिक हिस्सा काश्त कर लिये जाने से झगडा–फसाद रहता है।

बांका दिनांक 22.07.2022 को करीबन सुबह 8 बजे का है उक्त आराजीयात में वादी आगामी फसल हेतु सावट रखी अपने हिस्से की आराजी में जोत लगवा रहा था तो प्रतिवादी नं0 1 ता 3 एकराय होकर वादी के हिस्से की आराजी पर आये और वादी से कहा कि यह सम्पूर्ण आराजी हमारी है, तू इस पर काश्त मत कर तो वादी ने प्रतिवादी नं0 1 ता 3 से कहा कि यह आराजी पुश्तैनी आराजी है, जिस पर मेरा भी हिस्सा है और मैं अपने हिस्से की आराजी को ही काश्त कर रहा हूँ, फिर आपको क्यों परेशानी हो रही है, तुम्हें परेशानी है तो तुम भूमि का मुतनाजा का विधिवत बंटवारा करवा लो, और भूमि मुतनाजा के अलावा भी अपनी पुश्तैनी सम्पत्ति दुकान, मकान का भी सक्षम न्यायालय में चलकर बंटवारा करवा लो तो प्रतिवादी नं0 1 ता 3 ने वादी से स्पष्ट कहा कि तेरा इस भूमि मुतनाजा, मकान दुकान में कोई हिस्सा किसी भी प्रकार का नहीं है, स आराजी सम्पूर्ण को हम ही काश्त करेगें एवं दीगर सम्मिलित सम्पत्ति का हम अकेले ही उपयोग

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

उपभोग करेगें तो प्रतिवादी नं0 1 ता 3 ने वादी से एकदम नाराज होते हुये यह ऐलानियां कहा कि हम ना ही तो अब कृषि भूमि का बंटवारा करवायेगें और ना ही अन्य किसी पैतृक सम्पत्ति का बंटवारा करवायेगें। तुम्हारा किसी भी सम्पत्ति में कोई भी हिस्सा किसी प्रकार का नहीं है। भूमि मुतनाजा सम्पूर्ण को तन्हा हम ही काश्त करेगें एवं उपयोग उपभोग में लेगें एवं बिना विधिवत बंटवारा करवाये ही दीगर अजनबी लठैत व्यक्तियों को हस्तान्तरित कर तुझे तेरे हिस्से की आराजी से बेदखल कर देगें। तुझे तेरे हिस्से की आराजी को शान्तिपूर्वक काश्त नहीं करने देगें इस प्रकार प्रतिवादीगण ने भूमि मुतदाविया में वादी के हिस्से से साफ इन्कार कर दिया है प्रतिवादीगण से वादी ने काफी हाथाजोडी की लेकिन प्रतिवादीगण अजखुद मानने को तैयार नहीं है यदि प्रतिवादीगण अपने उक्त गैरकानूनी कुचेष्टा में कामयाब हो गया तो वादी को भारी हकतलफी होगी, जिसकी पूर्ति इन टर्म्स ऑफ मनी भी संभव नहीं हो सकेगी। प्रतिवादीगण आज कल में ही भूमि मुतनाजा को बिना विधिवत बंटवारा कराये ही दीगर अजनबी लठैत व्यक्तियों को हस्तान्तरित करने पर आमदा है तथा वादी को उसके हिस्से की आराजी से बेदखल करने पर आमादा है इसलिये यह दावा बावत तकास्ता व स्थाई निषेधाज्ञा वखिलाफ प्रतिवादीगण पेश करना लाजिम आया है।

उक्त आराजीयात का खातेदार सत्यवती पत्नि जगदीश प्रसाद फौत हो गई है जिसके जायज कायम मुकाम कानूनी वारिसान प्रतिवादी संख्या 4 ता 9 है जो उसके तर्के पर काबिज है एवं जिम्मेदार नतीजा मुकदमा है।

अतः दावा वादी वखिलाफ प्रतिवादीगण बावत् तकास्मा डिक्री किया जाकर सक्षम अधिकारी को कमिश्नर नियुक्त कर आराजीयात हाल खसरा नम्बर 111/0.64, 112/0.36, 113/0.36, 114/0.46, 115/0.01, 116/0.36, 117/0.05, 118/0.52, 119/0.63, कुल किता 9 कुल रकवा 3.39 है0 बांके ग्राम मकबरा तहसील टोडाभीम में वादी के 1/4 हिस्से का एवं खसरा नम्बर 820/0.01, 821/0.19, 822/0.07, 823/0.01, 824/0.35, 825/0.01, 826/0.27 कुल किता 7 कुल रकवा 0.91 है0 ग्राम असरो तहसील टोडाभीम में वादी के 1/12 हिस्से का अच्छी में अच्छी एवं बुरी में से बुरी आराजी का मुताबिक हिस्सा व मुताबिक मौका तकास्मा किया जाकर

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

वाद रिपोर्ट कमिश्नर फाईनल डिक्री बहक वादी पारित किया जावे तदानुसार ही वादी के 1/4 हिस्से तथा 1/12 हिस्से की आराजी के अलग नम्बर व अलग लगान कायम कर अलग नम्बर कायम किया जावे तदानुसार ही हाल राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। तथा वादी के हिस्से की भूमि में कब्जा काश्त में रूकावट मजाहमत पैदा नहीं करे।

दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी न0 11 पैरोकार सरकार तहसीलदार टोडाभीम उपस्थित, प्रतिवादी न0 6, 7, 8 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादी संख्या 4, 5, 9 की ओर से श्री विष्णु कुमार कंटक एडवोकेट ने जबाब पेश कर विशेष विवरण में अंकित किया कि आराजी हाल खसरा नम्बर 820/0.01, 821/0.19, 822/0.07, 823/0.01, 824/0.35, 825/0.01, 826/0.27, कुल किता 7 कुल रकवा 0.91 है0 स्थित ग्राम असरो तहसील टोडाभीम में स्थित है जिसमें प्रतिवादी संख्या 4 ता 9 की मां सत्यवती पत्नि जगदीश प्रसाद हिस्सा 1/3 की रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। प्रतिवादी संख्या 4 ता 9 की मां सत्यवती का स्वर्गवास हो चुका है। मृतक सत्यवती के प्रतिवादी संख्या 4 ता 9 जायज कायम मुकाम वारिस है जो मृतक के तर्के पर काबिज है तथा जिम्मेदार नतीजा मुकदमा है। प्रतिवादीगण का आराजी खसरा नम्बर 823 व 824 पर कब्जा काश्त है।

काउण्टर क्लेम में अंकित किया है कि काउण्टर क्लेम प्रतिवादी नं0 4, 5, 9 बखिलाफ प्रतिवादीगण बावत् घोषणा खातेदारी डिक्री फरमाया जाकर आराजीयात मुतजिका मद नं0 2 वाद पत्र में सत्यवती के हिस्से 1/3 का प्रतिवादीगण नं0 4 ता 9 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर इसकी अनुरूप राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में अमल दरामद किया जावे। काउण्टर क्लेम प्रतिवादीगण 4, 5 9 बावत् तकास्मा बखिलाफ वादीगण प्रिमिलिनरी डिक्री फरमाया जाकर तहसीलदार टोडाभीम को बंटवारा कमिश्नर नियुक्त कर उक्त आराजी की मुताबिक कब्जा बंटवारा सकीम मय नक्शा ट्रेस तलब की जाये बाद प्राप्ति बंटवारा स्कीम काउण्टर क्लेम प्रतिवादीगण फाईनल डिक्री फरमाया जावे।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

प्रतिवादी संख्या 2 व 3 की ओर से श्री देवेन्द्र कुमार शर्मा एडवोकेट ने जबाव प्रस्तुत कर अधिकतम तथ्यों को अस्वीकार करते हुये विशेष विवरण में अंकित किया है कि प्रतिवादी संख्या 2 व 3 एवं वादी व शेष प्रतिवादीगण के मध्य बांहमी बंटवारा कर रखा है, लेकिन विधिवत बंटवारा अभी तक नहीं हुआ है, भूमि का मुतनाजा के प्रत्येक इंच भू-भाग पर उभयपक्षकारान का संयुक्त कब्जा काश्त है, भूमि का मुतनाजा का विधिवत बंटवारा नहीं होने से आराजीयात की डोलमेड को लेकर एवं कम व अधिक हिस्सा काश्त लिये जाने से आये दिन उभयपक्षकारान के झगडा फसाद रहता है। इसलिये भूमि का मुतनाजा का विधिवत बंटवारा किया जाना आवश्यक व न्याय संगत है। अतः दावा वादी बावत् तकास्मा डिक्री फरमाया जाकर शेष रिलीफ हेतु खारिज फरमाया जावे एवं काउण्टर क्लेम प्रतिवादी संख्या 2 व 3 डिक्री किया जाकर सक्षम अधिकारी को कमिश्नर नियुक्त कर आराजीयात मुतजिका मद नं0 11 में प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के हिस्सा कमशः 1/4-1/4 एवं मुतजिका मद नं0 12 में प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के हिस्से कमशः 1/12-1/12 का अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी आराजी का मुताबिक हिस्सा व मुताबिक मौका बंटवारा किया जाकर बाद रिपोर्ट कमिश्नर फाईनल डिक्री बहक प्रतिवादी संख्या 2 व 3 पारित किया जावे, तदनानुसार ही आराजी के अलग लगान कायम कर हाल राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कायम की जावे।

प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से श्री सुरेश चन्द शर्मा एडवोकेट ने जबाव प्रस्तुत कर अधिकतम तथ्यों को अस्वीकार करते हुये विशेष विवरण में अंकित किया है कि वादीगण द्वारा समस्त मैटेरियल फैक्टस को छुपाते हुये दावा मय दरखास्त हाजा पेश किये है जो चलने योग्य नहीं है। वादी का आराजी विवादग्रस्त पर कोई कब्जा काश्त नहीं है तथा कब्जे के अभाव में दावा चलने योग्य है। अतः दावा मय खर्चा खारिज फरमाने की कृपा करे।

वादपत्र मे समर्थन मे निम्न प्रकार तनकीयात कायम की गई:-

1. आया यह है कि विवादग्रस्त आराजीयात हाल ख0नं0 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119 कुल किता 9 कुल रकवा 3.39 है0 बाके ग्राम मकबरा तहसील टोडाभीम में स्थित

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

है जिसमें वादी 1/4 का हिस्सेदार है एवं खसरा नम्बर 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826 कुल किता 7 कुल रकवा 0.91 है0 बांके ग्राम असरो तहसील टोडाभीम में स्थित है। जिसमें वादी 1/12 का हिस्सेदार है। वादी मुताबिक हिस्सानुसार रिकार्डेड खातेदार है एवं बंटवारा कराने का हकदार है एवं वादी प्रतिवादीगणों को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का हकदार है।

(जिम्मेवादी)

2. आया यह है कि आराजी भूमि खसरा नम्बर 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119 कुल किता 9 कुल रकवा 3.39 है0 बाके ग्राम मकबरा तहसील टोडाभीम में स्थित हैएवं खसरा नम्बर 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826 कुल किता 7 कुल रकवा 0.91 है0 असरो में स्थित है। प्रतिवादी नं0 1 मुताबिक हिस्सानुसार रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। प्रतिवादी नं0 1 अपने हिस्से पर काबिज है। वादी का विवादग्रस्त आराजी पर कोई कब्जा काश्त नहीं है। कब्जे के अभाव में दावा चलने योग्य नहीं है।

(जिम्मे प्रतिवादी नं0 1)

3. आया यह है कि ख0नं0 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119 कुल किता 9 कुल रकवा 3.39 है0 बाके ग्राम मकबरा में प्रतिवादी नं0 2 व 3 1/4 के हिस्सेदार है एवं खसरा नम्बर 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826 कुल किता 7 कुल रकवा 0.91 है0 ग्राम असरो में स्थित है एवं प्रतिवादी नं0 2 व 3 1/12 के हिस्सेदार है एवं बंटवारा कराने का हकदार है।

(जिम्मे प्रतिवादी नं0 2, 3)

4. आया यह है कि खसरा नम्बर 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826 कुल किता 7 कुल रकवा 0.91 है0 ग्राम असरो में स्थित है। जिसमें प्रतिवादी नं0 4 ता 9 की मां सत्यवती पत्नि जगदीश प्रसाद हिस्सा 1/3 की खातेदार काश्तकार है। खातेदारी कराने का हकदार है एवं बंटवारा कराने का हकदार है।

(जिम्मे प्रतिवादी नं0 4, 5, 9)

5. अनुतोष ?

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

वादी द्वारा वादपत्र मे समर्थन मे ग्राम मकबरा की जमाबन्दी सम्वत 2073-76 खाता न0 46 प्रदर्श-1, ग्राम असरो की जमाबन्दी सम्वत् 2075-78 के खाता संख्या 131 प्रदर्श-2, व अपना स्वंय का शपथ पत्र पेश किया। वादी से प्रतिवादी वकील ने जिरह पूर्ण की।

प्रतिवादीगण द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य में कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया, मौखिक साक्ष्य में प्रतिवादी सं0 2 व 3 के मुख्य परीक्षण के शपथ पत्र पेश किये जिन पर अधिवक्ता वादी द्वारा जिरह पूर्ण की गई। बार-बार मौके देने के बावजूद भी प्रतिवादी सं0 1 द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये। वकील उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई। जिस पर तनकीवार विवेचन निम्न प्रकार है।

तनकी नं0 1:- आया यह है कि विवादग्रस्त आराजीयात हाल ख0नं0 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119 कुल किता 9 कुल रकवा 3.39 है0 बाके ग्राम मकबरा तहसील टोडाभीम में स्थित है जिसमें वादी 1/4 का हिस्सेदार है एवं खसरा नम्बर 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826 कुल किता 7 कुल रकवा 0.91 है0 बांके ग्राम असरो तहसील टोडाभीम में स्थित है। जिसमें वादी 1/12 का हिस्सेदार है। वादी मुताबिक हिस्सानुसार रिकार्डेड खातेदार है एवं बंटवारा कराने का हकदार है एवं वादी प्रतिवादीगणों को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का हकदार है।

तनकी नं0 3:- आया यह है कि ख0नं0 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119 कुल किता 9 कुल रकवा 3.39 है0 बाके ग्राम मकबरा में प्रतिवादी नं0 2 व 3 1/4 के हिस्सेदार है एवं खसरा नम्बर 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826 कुल किता 7 कुल रकवा 0.91 है0 ग्राम असरो में स्थित है एवं प्रतिवादी नं0 2 व 3 1/12 के हिस्सेदार है एवं बंटवारा कराने का हकदार है।

तनकी नं0 1 व 3 दोनों ही एक-दूसरे से परस्पर संबंधित है इसलिये तनकी नं0 1 व 3 का निर्णय एक साथ किया जा रहा है। तनकी नं0 1 को साबित करने का भार वादी पर है एवं तनकी नं0 3 का भार प्रतिवादी नं0 2 व 3 पर है। उक्त तनकीयात को साबित करने हेतु अधिवक्ता

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

वादी व अधिवक्ता प्रतिवादी नं0 2 व 3 ने कथन किया है कि भूमि खसरा नम्बर 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119 कुल किता 9 कुल रकवा 3.39 है0 बाके ग्राम मकबरा तहसील टोडाभीम एवं भूमि खसरा नम्बर 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826 कुल किता 7 कुल रकवा 0.91 है0 बांके ग्राम असरो तहसील टोडाभीम में वादी व प्रतिवादी संख्या 2 व 3 ग्राम मकबरा की भूमि में बहिस्सा 1/4, 1/4 के एवं ग्राम असरो की भूमि बहिस्सा 1/12, 1/12 के खातेदार हिस्सेदार है और उक्त भूमि का बंटवारा कराने के अधिकारी है। इस संबंध में वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात जमाबन्दी सम्वत् 2073–2076 ग्राम मकबरा व जमाबन्दी सम्वत् 2075–2078 ग्राम असरो का अवलोकन किया गया। जिसमें वादी व प्रतिवादी संख्या 2 व 3 की उक्त हिस्साकशी बखूबी दर्ज रिकार्ड है एवं वादी ने अपने साक्ष्य में कथन किया है कि एक्त भूमि में बहिस्सा 1/4, 1/4 एवं 1/12, 1/12 पर अपने हिस्से पर काबिज है एवं रिकार्ड में हमारी खातेदारी दर्ज है। एवं कथन किया है कि भूमि को हम ही काश्त करते है। एवं प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा भी अपने मुख्य परीक्षण व जिरह में कथन किया है कि वादी एवं प्रतिवादी नं0 1 ता 3 सगे बहन भाई है। भूमि में क्रमशः मकबरा व असरों में 1/4, 1/4 व 1/12, 1/12 हिस्सा है। अन्त में कथन किया है कि वादी राजेन्द्र ने बंटवारे का दावा पेश किया है जिसे हिस्से व कब्जे के मुताबिक फरमा दिया जावे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। इसी प्रकार प्रतिवादी नं0 3 ने भी कथन किया है कि वादी एवं प्रतिवादी नं0 1 ता 3 सगे बहन भाई है। भूमि में क्रमशः मकबरा व असरों में 1/4, 1/4 व 1/12, 1/12 हिस्सा है। अन्त में कथन किया है कि वादी राजेन्द्र ने बंटवारे का दावा पेश किया है जिसे हिस्से व कब्जे के मुताबिक फरमा दिया जावे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि उक्त भूमि स्थित ग्राम मकबरा व असरो में वादी व प्रतिवादी संख्या 2 व 3 अपने हिस्सा क्रमशः 1/4, 1/4 व 1/12, 1/12 के खातेदार काश्तकार है। और उक्त हिस्सा अनुसार ही मौके पर काबिज है। प्राथमिक डिक्री किये जाने पर तहसीलदार टोडाभीम द्वारा प्रस्तुत की गई बंटवारा स्कीम से भी उक्त तथ्य बखूबी साबित है। इस प्रकार तनकी नं0 1 बहक वादी एवं तनकी नं0 3 बहक प्रतिवादी संख्या 2 व 3 तय की जाती है।

तनकी नं0 2:– आया यह है कि आराजी भूमि खसरा नम्बर 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119 कुल किता 9 कुल रकवा 3.39 है0 बाके ग्राम मकबरा तहसील टोडाभीम में स्थित है

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

एवं खसरा नम्बर 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826 कुल किता 7 कुल रकवा 0.91 है0 असरो में स्थित है। प्रतिवादी नं0 1 मुताबिक हिस्सानुसार रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। प्रतिवादी नं0 1 अपने हिस्से पर काबिज है। वादी का विवादग्रस्त आराजी पर कोई कब्जा काश्त नहीं है। कब्जे के अभाव में दावा चलने योग्य नहीं है।

इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी नं0 1 पर है। इस तनकी को साबित करने प्रतिवादी नं0 1 द्वारा कोई दस्तावेजी या मौखिक साक्ष्य पेश नहीं की गई है जबकि वादी द्वारा जमाबन्दी सम्वत् 2073–2076 ग्राम मकबरा प्रदर्श–1 व जमाबन्दी सम्वत् 2075–2078 ग्राम असरो प्रदर्श–2 पेश किये गये है। और मौखिक साक्ष्य में कथन किया है कि असरो की जमीन के मौके पर तीन खेत बने हुये है जिसमें से एक खेत पर हक काबिज है। मकबरा की भूमि एक चक है एवं इसके पूर्व में ईदगाह व कब्रिस्तान है पश्चिम में हमारा व मुसलमानों का खेत है उत्तर में कॉलोनी बसी है दक्षिण में मनोहरलाल का खेत है। असरो में स्थित जमीन को हम खुद काश्त करते है बहनों के हिस्से को मैं काश्त करता हूॅं। यह कहना गलत है कि उक्त आराजीयात के 1/2, 1/2 हिस्से का बाहमी बंटवारा हो रहा हो बल्कि 1/4, 1/4 हिस्से का बंटवारा हो रहा है। यह कहना भी गलत है कि ए/2 हिस्से पर प्रतिवादी का कब्जा हो। प्रतिवादी संख्या 2 व 3 की जिरह से भी यह तथ्य स्पष्ट है कि मौके पर काश्त हेतु बांहमी बंटवारा किया हुआ है। इस प्रकार मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से बखूबी साबित है कि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 अपने अपने उक्त हिस्सानुसार मौके पर काबिज है एवं उक्त भूमि की खातेदारी उभयपक्षकारान के हक में दर्ज रिकार्ड है। इस प्रकार प्रतिवादी नं0 1 इस तथ्य को कहीं साबित नहीं कर पाया है कि वादी का कोई कब्जा काश्त नहीं है। अतः यह तनकी बहक वादी व बखिलाफ प्रतिवादी नं0 1 तय की जाती है।

तनकी नं0 4:– आया यह है कि खसरा नम्बर 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826 कुल किता 7 कुल रकवा 0.91 है0 ग्राम असरो में स्थित है। जिसमें प्रतिवादी नं0 4 ता 9 की मां सत्यवती पत्नि जगदीश प्रसाद हिस्सा 1/3 की खातेदार काश्तकार है। खातेदारी कराने का हकदार है एवं बंटवारा कराने का हकदार है।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी नं0 4, 5 व 9 पर है इस तनकी को साबित करने हेतु प्रतिवादी नं0 4, 5 व 9 द्वारा कोई दस्तावेजी या मौखिक साक्ष्य पत्रावली पर पेश नहीं किये गये है। लेकिन चूँकि बंटवारा स्कीम के अवलोकन से जाहिर है कि प्रतिवादी संख्या 4 ता 9 खातेदार सत्यवती पत्नि जगदीश प्रसाद के वारिसान है। और चूँकि प्रतिवादी संख्या 4 ता 9 द्वारा उक्त सत्यवती की खातेदारी की भूमि की घोषणा बावत् काउन्टर क्लेम पेश किया है। इसका वादी द्वारा कोई जबाव पेश नहीं किया गया है। इस प्रकार यह तथ्य निर्विवाद है कि खातेदार सत्यवती फौत हो चुकी है जिसके जायज वारिसान प्रतिवादी संख्या 4 ता 9 है जो उक्त सत्यवती के ग्राम असरो में स्थित 1/3 हिस्से की भूमि की खातेदारी की घोषणा अपने हक में करा पाने के अधिकारी है। इस प्रकार तनकी बहक प्रतिवादी संख्या 4 , 5 व 9 बखिलाफ वादी तय की जाती है।

वकील उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में सलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया। बाद मनन व अवलोकन वादी का वादपत्र स्वीकार योग्य होने के वादपत्र प्राथमिक डिक्री किया किया तहसीलदार टोडाभीम को मौका कमिश्नर नियुक्त कर विभाजन प्रस्ताव हेतु दिनांक 29.12.2025 को आदेशित किया गया। तहसीलदार टोडाभीम द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के नियम 18–21 की पालना में विभाजन प्रस्ताव बनाकर पेश किया जिस पर कोई आपत्ति पेश नहीं की गई।

तहसीलदार टोडाभीम द्वारा प्रस्तुत विभाजन स्कीम का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत बटवारा स्कीम के अवलोकन से स्पष्ट है कि विभाजन स्कीम रिकार्ड मे दर्ज हिस्सानुसार व कब्जेनुसार तैयार की गई है। वकील उभयपक्षकारान ने भी अपनी बहस मे भी कथन किया है कि तहसीलदार टोडाभीम द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव अनुसार दावा फाईनल डिकी कर दिया जावे। सहमति स्वरूप वकील उभयपक्ष ने आदेशिका पर हस्ताक्षर भी करवाये गये। अतः वादपत्र मे वर्णित अराजीयात ग्राम मकबरा व असरो मे विभाजन प्रस्ताव के अनुसार दावा निम्नानुसार फाईनल डिकी किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

ग्राम मकबरा

क्र0स0	नाम खातेदार काश्तकार	ख0न0	रकबा
1	अरविन्द कुमार पुत्र रामभरोसी जाति ब्राहमण सा0 टोडाभीम खातेदार राहिन पीएनबी शाखा टोडाभीम	111/1	0.24
		118/1	0.31
		119/1	0.34
		कुल किता 3	कुल रकबा 0.89 है0
2.	अनीता पुत्री रामभरोसी जाति ब्राहमण सा0 देह खातेदार	111/2	0.35
		118/2	0.21
		119/2	0.29
		116/1	0.04
		कुल किता 4	कुल रकबा 0.89 है0
3.	राजेन्द्र कुमार पुत्र रामभरोसी जाति ब्राहमण सा0 टोडाभीम खातेदार	112/1	0.26
		113/1	0.10
		114/1	0.34
		116/1	0.19
		कुल किता 4	कुल रकबा 0.89 है0
4.	सुनीता पुत्री रामभरोसी जाति ब्राहमण सा0 टोडाभीम खातेदार	112/2	0.08
		113/2	0.26
		114/2	0.12
		116/2	0.13
		कुल किता 4	कुल रकबा 0.59 है0
5.	अरविन्द कुमार पुत्र रामभरोसी हि0 1/4 राहिन पीएनबी शाखा टोडाभीम, राजेन्द्र कुमार पुत्र रामभरोसी हि0 1/4 अनीता पुत्री रामभरोसी हि0 1/4 सुनीता पुत्री रामभरोसी हि0 1/4 जाति ब्राहमण सा0 टोडाभीम खातेदार	111/3	0.05
		112/3	0.02
		115	0.01
		117	0.05
		कुल किता 4	कुल रकबा 0.13 है0

ग्राम असरो

क्र0स0	नाम खातेदार काश्तकार	ख0न0	रकबा
1.	नाबा. अदील ओमद पुत्र सिराजुद्दीन जाति मुसलमान सा0 मकबरा खातेदार	825	0.01
		826	0.27
		824/2	0.02
		कुल किता 3	कुल रकबा 0.30 है0
2.	जयहिन्द पुत्र जगदीश प्रसाद हि0 1/6, पवन पुत्र जगदीश प्रसाद हि0 1/6, विनोद पुत्र जगदीश प्रसाद हि0 1/6, ऊषा पुत्री जगदीश प्रसाद हि0 1/6, प्रियंका पुत्री जगदीश प्रसाद हि0 1/6, मनीषा पुत्री जगदीश प्रसाद हि0 1/6 जाति महजन सा0 टोडाभीम खातेदार	823	0.01
		824/1	0.29
		कुल किता 2	कुल रकबा 0.30 है0
3	सुनीता पुत्री रामभरोसी जाति ब्राहमण सा0 टोडाभीम खातेदार	821	0.19
		822	0.07
		824/3	0.04
		कुल किता 3	कुल रकबा 0.30 है0
4.	अरविन्द कुमार पुत्र रामभरोसी हि0 1/4, राजेन्द्र कुमार पुत्र रामभरोसी हि0 1/4, अनीता पुत्री रामभरोसी हि0 1/4, सुनीता पुत्री रामभरोसी हि0 1/4 जाति ब्राहमण सा0 टोडाभीम खातेदार	820	0.01 है0

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

उक्त सूची अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। नक्शा ट्रेस की प्रति निर्णय के साथ सलग्न रहेगी। उभयपक्ष को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि एक–दूसरे के कब्जे काश्त मे मजाहमत मदाखलत नही करे। फाईनल डिकी जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 30/04/2026 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

(अमन चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम जिला करौली